उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा)अनुभाग-2
संख्या- 3 /2016/ए-2-759/दस-2016-24(2)/98
लखनऊ : 17 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

साख-सीमा खण्ड प्रभाग/निदेशन प्रभाग को जारी करने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-311/दस-98-24(2)/98, दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर-2 (1) (2) (3) के अन्तर्गत प्रतिशत निर्धारित करते हुए प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर-2 (1) (2) (3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत के अनुसार साख-सीमा निर्गत करने के सम्बन्ध में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है।

2- अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-311/दस-98-24(2)/98, दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर-2 (1) (2) (3) को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

**2(1)-** सी0सी0एल0 सम्बन्धित खण्ड/प्रभाग/निदेशन प्रभाग की मॉग पर जारी की जायेगी।

**2(2)-**

(i) लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग में सी0सी0एल0 प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत निम्नवत् जारी की जायेगी :-

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम त्रैमास | - | 35 प्रतिशत |
| द्वितीय त्रैमास | - | 15 प्रतिशत |
| तृतीय त्रैमास | - | 35 प्रतिशत |
| चतुर्थ त्रैमास | - | 15 प्रतिशत |

(ii)- वन विभाग में सी0सी0एल0 प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान के अन्तर्गत निम्नवत् जारी की जायेगी :-

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम त्रैमास | - | 20 प्रतिशत |
| द्वितीय त्रैमास | - | 25 प्रतिशत |
| तृतीय त्रैमास | - | 40 प्रतिशत |
| चतुर्थ त्रैमास | - | 15 प्रतिशत |

**2(3)**

(i)- सम्बन्धित विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त प्रस्तर-2(2)(i) एवं 2(2)(ii) के अनुसार निर्गत की जाने वाली सी0सी0एल0 प्रत्येक कार्य हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति की सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ii)- सम्बन्धित विभाग अलग-अलग कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली सी0सी0एल0 का प्रतिशत कार्य की आवश्यकता के अनुरूप स्वयं निर्धारित करने हेतु सक्षम होंगे, परन्तु एकजाई रूप से निर्गत समस्त सी0सी0एल0 को प्रत्येक त्रैमास एवं प्रत्येक अनुदान में उपरोक्त प्रस्तर-2(2)(i) एवं 2(2)(ii) में निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत सीमित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-311/दस-98-24(2)/98, दिनांक 29 जून, 1998 सपठित कार्यालय-आदेश संख्या-ए-2-1954/दस-98-24(2)/98, दिनांक 09-11-1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29 जून, 1998 की अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत् रहेंगें।

4- उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग के समस्त आहरण अधिकारियों को समुचित अनुदेश तत्काल जारी किये जायेंगे।

5- वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव ।

**संख्या-3/2016/ए-2-759(1)/दस-2016-24(2)/98 तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।

(4) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/वन विभाग/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ।

(10) वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी, लोक निर्माण/सिंचाई/वन/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(11) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।

(12) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(13) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(14) अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(15) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(16) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।